

नोटिस

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ० प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस :-

लखनऊ शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ शहर में 'सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ' बनायी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमायें निम्नवत हैं :-

उत्तर- लखनऊ सुल्तानपुर रोड खसरा संख्या-1051 ग्राम सरसवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 626 ग्राम अहमामऊ परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

पूरब- खसरा सं० 631, 639, 638, 640, 641, 642, 643 ग्राम अहमामऊ परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा सं० 64, 50, ग्राम चक कजेहरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ तथा खसरा सं० 646 ग्राम अहमामऊ परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा सं० 3, 2, 1, 12, 15, 16, 17, 18, ग्राम चक कजेहरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

दक्षिण- नहर खसरा सं० 367, 371 ग्राम निजामपुर मझगांव परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ खसरा सं० 281, 277, ग्राम बरौना परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ, खसरा सं० 319 ग्राम निजामपुर मझगांव परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ, खसरा सं० 276, 275 ग्राम बरौना परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा सं० 695 भाग, 721, 718, 721, 716, 710, 711, 712 ग्राम सेवई परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम सरथुआ परगना व तहसील मोहनलाल गंज जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा बिरुश परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

पश्चिम- लखनऊ रायबरेली रेलवे लाइन की सीमा स्थित ग्राम बरौली खलीलाबाद, ग्राम शकूलपुर, ग्राम हरिहरपुर, ग्राम मलाक परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा सीमा दिलकुशा छावनी, परगना व तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा सं० 1250, 1556, 1257, 1259, 1231, 1228, 1227 ग्राम सरसवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

यह घोषणा की जाती है कि जब परिषद की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये आपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा, तो योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भूमि के स्वामी व उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आसुधार शुल्क उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के प्राविधान के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-15, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, भवन सं० 2-सी, 120, 121, 122, वृन्दावन योजना सं०-2, रायबरेली रोड, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ० प्र० सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियाँ कार्यालय आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ तथा कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-15, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, भवन सं० 2-सी, 120, 121, 122, वृन्दावन योजना सं०-2, रायबरेली रोड, लखनऊ में ली जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का नाम, आपत्ति कर्ता का नाम, आपत्ति कर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण, ग्राम का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही-सही अंकित होने चाहिये।

विद्यानन्द गार्ग
आवास आयुक्त

कोर - लखनऊ

Date 14.8.04

Notice

Notice under Section 28 of the Uttar Pradesh Avas Evam
Vikas Parishad Adhiniyam - 1965 (U.P Act No.-1 of 1966)

In View to solve the acute housing problem of Lucknow, Uttar
Pradesh Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called
Ratanpur Road Bhoomi Vikas Evam Grahsthan Yojna Lucknow.
Boundaries of the scheme comprised area as follows.

- East** Lucknow Sultanpur Road Khasra No. 1051 Village
Sarsawa Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow and
Khasara No. 626 Village Ahmamau Pargana, Bijnaur,
tehsil & District Lucknow.
- West** Khasra No. 631, 639, 638, 640, 641, 642, 643 Village
Ahmamau Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow,
Khasara No. 64, 50 village Chak Kajehra Pargana tehsil
Mohanlal Ganj & District Lucknow and Khasara No. 646
Village Ahmamau Pargana Bijnaur, tehsil & District
Lucknow. Khasra No. 3, 2, 1, 12, 15, 16, 17, 18 village
Chak Kajehra Pargana and tehsil Mohanlal Ganj &
District Lucknow and Boundary of Village Hasanpur,
Khewali, Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow
- South** Nahar Khasara No. 367, 371, Village Nijampur,
Majhigawan, Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow,
Khasara No. 281, 277 Village Barauna Pargana Bijnaur,
tehsil & District Lucknow, Khasara No. 319 Village
Nijampur, Majhigawa, Pargana Bijnaur, tehsil & District
Lucknow Khasara No. 276, 275 Village Barauna,
Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow and Khasara
No. 695 part, 721, 718, 721, 716, 710, 711, 712 Village
Sewai Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow and
Boundary of Village Sarathuwa Pargana and Tehsil
Mohanlal Ganj & District Lucknow and boundary of
Village Virura Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow.
- West** Boundary of Railway line from Lucknow to Rai Bareilly
situated at Village Barauli Khalilabad, Village Shakurpur,
Village Hariharpur, Village Malak, Pargana Bijnaur, tehsil
& District Lucknow, Boundary of Dilkusha Chawani
Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow and Khasara
No. 1250, 1556, 1257, 1259, 1231, 1228, 1227, Village
Sarsawa Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow.

It is declared that when by the Execution of the Housing and
Development Scheme aforesaid, any land in the area comprised
in the scheme which may not be required for the execution there
of, will in the opinion of the board be increased in value,
"betterment fee" in accordance with the provisions of Uttar
Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam 1965 shall be
payable by the owner of the land and by every person having an
interest there in respect of the increase in the value of the land
resulting from the execution of the scheme.

The map of the area, particulars of the scheme and details of
the land proposed to be acquired may be seen at the Office of the
Housing Commissioner, (Land Acquisition Section) Uttar
Pradesh Avas Evam Vikas Parishad 104, Mahatma Gandhi
Marg, Lucknow or in the Office of the Executive Engineer Nirman
Khand-15 Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, H. No. 2-C,
120, 121, 122, Vrindavan Yojna-2, Rai Bareilly Road, Lucknow on
any working day between 11.00 A. M. to 3.00 P.M.

Objection to the scheme shall be received at the Office of the
Housing Commissioner, (Land Acquisition Section) Uttar Pradesh
Avas Evam Vikas Parishad 104, Mahatma Gandhi Marg,
Lucknow, or in the Office of the Executive Engineer Nirman
Khand-15 Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, H. No. 2-C,
120, 121, 122, Vrindavan Yojna-2, Rai Bareilly Road, Lucknow
within 30 days from the date on which this notice is first published
in Uttar Pradesh Gazette, correct name of the scheme and full
particular of the land / building / name of the village / Khasra plot
no / area of the land and other details of the objector etc. within the
scheme, should be clearly mentioned in every objection.

Owners/Occupiers of structures in the scheme area shall be
liable to pay "Betterment Fee, Development Charges" to the
Housing Board in accordance with the provisions of the Housing
Board Act.

Vidya Nand Garg
Housing Commissioner

T.O.I. Lucknow Date 14-08-04

दैनिक हिन्दुस्तान 26.11.04

दैनिक जागरण 26.11.04

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

आवश्यक सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना जिसका कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 4465.39 एकड़ है। परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के अन्तर्गत भूमि अधिगृहण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 7.8.2004 को समाचार पत्रों एवं गजट में प्रकाशित करायी जा चुकी है तथा धारा-29 के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियाँ प्राप्त करके धारा-30 के अन्तर्गत नियोजन समिति द्वारा प्रत्येक आपत्तिकर्ता को सुना जा रहा है।

परिषद द्वारा अधिगृहीत भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य करना परिषद अधिनियम 1965 की धारा-73 एवं धारा-82 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित रायबरेली व सुल्तानपुर रोड के मध्य स्थित ग्राम-घुसवलकला, देवामऊ, सेवई, सरसावा, मलाक, बरीना, निजामपुर मझगवा, मुज्जफरनगर घुसवल, यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, हरिहर पुर, शकूरपुर, अहमामऊ, बरीली खलीलाबाद की भूमि पर परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अवैध रूप से क्रय/विक्रय न किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.08.2004/17.10.2004 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र, दिनांक 06.11.2004 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी जा चुकी है परन्तु इसके पश्चात भी कुछ कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से भूमि क्रय कर भूखण्ड/भवनों की बुकिंग की जा रही है।

अतः सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना के अन्तर्गत उत्तरठिया रेलवे स्टेशन से शहीद पथ के मध्य कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा प्लॉटों/भवनों की बुकिंग प्रारम्भ की है वह पूर्णतः अवैध है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना में प्लॉटों/भवनों की बुकिंग करता है अथवा क्रय विक्रय करता है तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
वृन्दावन वृत्त

हिन्दुस्तान दिनांक 26/11/04

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

आवश्यक सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना जिसका कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 4465.39 एकड़ है। परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के अन्तर्गत भूमि अधिगृहण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 7.8.2004 को समाचार पत्रों एवं गजट में प्रकाशित करायी जा चुकी है तथा धारा-29 के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियाँ प्राप्त करके धारा-30 के अन्तर्गत नियोजन समिति द्वारा प्रत्येक आपत्तिकर्ता को सुना जा रहा है।

परिषद द्वारा अधिगृहीत भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य करना परिषद अधिनियम 1965 की धारा-73 एवं धारा-82 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित रायबरेली व सुल्तानपुर रोड के मध्य स्थित ग्राम-घुसवलकला, देवामऊ, सेवई, सरसावा, मलाक, बरीना, निजामपुर मझगवा, मुज्जफरनगर घुसवल, यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, हरिहर पुर, शकूरपुर, अहमामऊ, बरीली खलीलाबाद की भूमि पर परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अवैध रूप से क्रय/विक्रय न किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.08.2004/17.10.2004 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र, दिनांक 06.11.2004 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी जा चुकी है परन्तु इसके पश्चात भी कुछ कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से भूमि क्रय कर भूखण्ड/भवनों की बुकिंग की जा रही है।

अतः सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना के अन्तर्गत उत्तरठिया रेलवे स्टेशन से शहीद पथ के मध्य कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा प्लॉटों/भवनों की बुकिंग प्रारम्भ की है वह पूर्णतः अवैध है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना में प्लॉटों/भवनों की बुकिंग करता है अथवा क्रय विक्रय करता है तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
वृन्दावन वृत्त

दैनिक जागरण दिनांक 26/11/04

आवश्यक सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित सुल्तानपुर रोड योजना में समाविष्ट ग्राम-घुसवलकला, देवामऊ, सेवई, सरसवा, मलाक, बरौना, निजामपुर मझगवा, मुज्जफरनगर घुसवल, यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, हरिहर पुर, शकूरपुर, अहमामऊ, बरौली खलीलाबाद की भूमि पर परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में कुछ कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अवैध रूप से भवनों/भूखण्डों की बुकिंग की जा रही है।

अतः यदि कोई व्यक्ति परिषद की इस अधिसूचित योजना के अन्तर्गत प्राइवेट कालोनाइजर्स, समितियों अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से भूखण्डों/भवनों आदि की बुकिंग कराता है तो उसके द्वारा विनियोजित की गयी धनराशि विवाद में पड़ सकती है तथा आर्थिक क्षति भी हो सकती है। अतः जनहित में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/भवनों को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य के माध्यम से धनराशि विनियोजित न करें। **अधीक्षण अभियन्ता**
दिनांक 28/11/2005 बुन्दावन वृत्त

आवश्यक सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित सुल्तानपुर रोड योजना में समाविष्ट ग्राम-घुसवलकला, देवामऊ, सेवई, सरसवा, मलाक, बरौना, निजामपुर मझगवा, मुज्जफरनगर घुसवल, यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, हरिहर पुर, शकूरपुर, अहमामऊ, बरौली खलीलाबाद की भूमि पर परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में कुछ कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अवैध रूप से भवनों/भूखण्डों की बुकिंग की जा रही है।

अतः यदि कोई व्यक्ति परिषद की इस अधिसूचित योजना के अन्तर्गत प्राइवेट कालोनाइजर्स, समितियों अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से भूखण्डों/भवनों आदि की बुकिंग कराता है तो उसके द्वारा विनियोजित की गयी धनराशि विवाद में पड़ सकती है तथा आर्थिक क्षति भी हो सकती है। अतः जनहित में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/भवनों को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य के माध्यम से धनराशि विनियोजित न करें। **अधीक्षण अभियन्ता**
दिनांक 28/11/05 बुन्दावन वृत्त

आवश्यक सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित सुल्तानपुर रोड योजना में समाविष्ट ग्राम-घुसवलकला, देवामऊ, सेवई, सरसवा, मलाक, बरौना, निजामपुर मझगवा, मुज्जफरनगर घुसवल, यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, हरिहर पुर, शकूरपुर, अहमामऊ, बरौली खलीलाबाद की भूमि पर परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में कुछ कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अवैध रूप से भवनों/भूखण्डों की बुकिंग की जा रही है।

अतः यदि कोई व्यक्ति परिषद की इस अधिसूचित योजना के अन्तर्गत प्राइवेट कालोनाइजर्स, समितियों अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से भूखण्डों/भवनों आदि की बुकिंग कराता है तो उसके द्वारा विनियोजित की गयी धनराशि विवाद में पड़ सकती है तथा आर्थिक क्षति भी हो सकती है। अतः जनहित में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/भवनों को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य के माध्यम से धनराशि विनियोजित न करें। **अधीक्षण अभियन्ता**
दिनांक 28/11/05 बुन्दावन वृत्त

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-15 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित संस्था) सुन्दारन योजना रायबरेली रोड, लखनऊ Website: http://www.upavp.com; E-mail: upavp@sanchamel.in संख्या : 2355/य-2/161 दिनांक : 14.10.2004			
सार्वजनिक सूचना			
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद लखनऊ में सुल्तानपुर रोड एवं रायबरेली रोड के मध्य एक आवासीय योजना के अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस योजना में ग्राम देवामऊ, अहमामऊ, सरसवाँ, हरिहरपुर, घुसवल कला, निजामपुर मझगवा, बरौना, बरौली-खलीलाबाद, मलाक, मुजफ्फर नगर घुसवल, घुसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, सक्कर पुर एवं सेवाई ग्रामों की भूमि समाविष्ट है। कुछ व्यक्तियों द्वारा योजना के नोटिफाइड क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण कराया गया है जिसके हेतु कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर ध्वस्तीकरण आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों से जिनका दिवरण निम्नवत है यह अपेक्षा है कि वे अनाधिकृत निर्माण स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त निर्माण को बल पूर्वक हटाया जायेगा तथा तब इसमें व्यय होने वाले व्यय की वसूली भी नियमानुसार की जायेगी।			
क्रम सं.	खसरा संख्या	ग्राम	अनाधिकृत निर्माण कर्ता का नाम
1	601	सेवाई	श्री परशु राम
2	463	सेवाई	श्री राम खेलावन
3	479	सेवाई	श्री शत्रुघन लाल
4	461	सेवाई	श्री राम प्रसाद
5	605	सेवाई	श्री पंचम
6	144,145	सेवाई	श्री अजय लेखपाल
7	466,467	सेवाई	श्री विजय प्रकाश निगम
8	311	सेवाई	श्री पुष्प लाल
9	100	सेवाई	श्री पुष्प लाल
10	1119,1120	सरसवाँ	श्री वीरेंद्र कुमार शुक्ला
11	1345	सरसवाँ	श्रीमती शिव कुमारी
12	1119,1120	सरसवाँ	श्री विवेक सिंह
13	1385,1386,1387	सरसवाँ	श्री निरंजन
14	1027	अहमामऊ	श्री शंकर
15	995	अहमामऊ	श्री कन्हई लाल
16	1138	अहमामऊ	श्रीमती कल्याणी
17	1022	अहमामऊ	श्री महाराज वज्र सिंह
18	732	अहमामऊ	श्री शिव चरण सिंह
19	718,719,731	अहमामऊ	सचिव मौसम वन वगेआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी
अधिशासी अभियंता			